

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्या: 04/2023

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला— सिरौही

बनाम

अप्रार्थीगण

त्रिजादेवी पत्नि रेवाराम, जाति— भील, निवासी— सुलीवा, तह. रेवदर, जिला— सिरौही

“प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970”

उपस्थिति:

1. परोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 24 जनवरी, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम सुलीवा, पटवार मण्डल रोहुआ के खसरा संख्या 42/679 रकबा 5.00 बीघा किस्म खा.ख. भूमि का उपखण्ड अधिकारी, रेवदर के द्वारा गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटिती भूमि का मौके पर आवंटित को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काश्त भी दर्ज नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये एवं न ही अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के आरे से परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सुलीवा, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 42/679 रकबा 5.00 बीघा भूमि का उपखण्ड अधिकारी, रेवदर के द्वारा गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटिती को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काश्त भी दर्ज नहीं है। अप्रार्थी/आवंटिती द्वारा आवंटन का शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी/आवंटित को उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)



दो पर

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि अप्रार्थी को ग्राम सुलीवा, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 42/679 रकबा 5.00 बीघा किस्म बंजर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी/आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर जरिये नामान्तरकरण आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि "आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काश्त भी दर्ज नहीं है।"

प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र के साथ केवल संवत् 2078-2079 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की है, लेकिन आवंटन से संवत् 2077 तक की खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में, केवल मात्र संवत् 2078-2079 की खसरा गिरदावरी के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन माना जाने योग्य नहीं है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा-काश्त नहीं हो। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी हल्का, रोहुआ की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 08.12.2022 प्रस्तुत की गई है, लेकिन पटवारी हल्का, रोहुआ द्वारा दिनांक 08.12.2022 को मौके की जांच अप्रार्थी की उपस्थिति में नहीं की गई है तथा इस मौका फर्द रिपोर्ट में पटवारी हल्का, रोहुआ द्वारा आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा-काश्त नहीं होने का तथ्य केवल मात्र क्यास के आधार पर अंकित किया है, जो माना जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर यह साबित करने में असफल रहे हैं कि आवंटिती/अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त नहीं हो। विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352-356 में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित भूमि पर यदि बरसात के अभाव में कभी कभी 2-4 वर्षों में लगातार काश्त नहीं हो पाती है व इसी आधार पर यदि गिरदावरी में भी कोई काश्त दर्ज नहीं होती है तो इससे आवंटिती के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति है एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा पर काश्त योग्य भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी दिये जाने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24 जनवरी, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही